संख्या–वे0आ0–2–382/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) विधान सभा सचिवालय के लेखाकार, कोषाध्यक्ष, लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष के पदों को समीक्षा अधिकारी (लेखा) पदनामित करते हुए दिनांक 01 जनवरी 2006 से रू0 7450–11500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य कराया जाय। इसी प्रकार मुख्य कोषाध्यक्ष को अनुभाग अधिकारी (लेखा) पदनामित करते हुए दिनांक 01 जनवरी 2006 से रू0 7500–12000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से अनुमन्य कराया जाय।

(3) विधान सभा सचिवालय के टाइप राइटर मैकेनिक के पद को मृत संवर्ग घोषित किया जाय। इस पद पर तैनात पदधारक द्वारा सेवा निवृत्त अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त किये जाने पर यह पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(4) विधान सभा सचिवालय में विद्यमान सुरक्षा सहायक, वरिष्ठ सुरक्षा सहायक, सहायक मार्शल, डिप्टी मार्शल तथा मार्शल के पदों पर

पुलिस विभाग के कान्स्टेबिल, हेड कान्स्टेबिल, उप निरीक्षक, निरीक्षक एवं उपाधीक्षक पदों के समकक्ष वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(5) उ0प्र0 सचिवालय के सादृश्य पर विधान सभा सचिवालय के पुस्तकालय को विशिष्ट श्रेणी में रखा जाय। इस पुस्तकालय के बेहतर प्रबन्धन हेतु विशेषज्ञों को सम्मिलित कर परामर्शदात्री समिति गठित की जाय। इस समिति द्वारा की गयी संस्तुतियो के परिप्रेक्ष्य में यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही विधान सभा सचिवालय द्वारा की जाय।

(6) विधान सभा पुस्तकालय के सूचीकार के पद हेतु निर्धारित अर्हता में से पुस्तकालय में तीन वर्ष के व्यवहारिक अनुभव की अर्हता को हटा दिया जाय। भविष्य में इस पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा निर्धारित की जाय।

(7) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर रू0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(8) उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद को सीधी भर्ती से भरे जाने की वर्तमान व्यवस्था को संशोधित कर इसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(9) शोध एवं संदर्भ अधिकारी के पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले शोध एवं संदर्भ सहायक के पदधारकों से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय।

(10) विधान सभा सचिवालय में विद्यमान अभिलेख अधिकारी के एकल पद को अनुभाग अधिकारी के पदों में संविलीन किया जाय। इस पद के धारक द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों को अनुभाग अधिकारी पदधारक से कराया जाय।

(11) प्रतिवेदक के पदों पर दिनांक 01 जनवरी 2006 से रू0 7500–12000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से निजी सचिव श्रेणी–1 के सादृश्य पर अनुमन्य कराया जाय। इन पदों पर 04 वर्ष की सेवा पर नॉन फंक्शनल वेतनमान रू0 8000–13500 निजी सचिव श्रेणी–1 के समान अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की जाय।

(12) विधान सभा सचिवालय के दफ्तरी (प्रशिक्षित) एवं दफ्तरी के पदों को संविलीन करते हुए दफ्तरी पदनाम से पुनरीक्षित वेतन संरचना

में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/– अनुमन्य किया जाय।

(13) विधान सभा सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य ऐसे पद जिन पर उ0प्र0 सचिवालय के समान वेतनमान अनुमन्य करा दिये गये हैं, उनके सम्बन्ध में अलग से विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(14) विधान सभा सचिवालय के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–382(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।